न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2024 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये मनजीत सिंह प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश शर्मा पुत्र बंशीलाल शर्मा निवासी ब्राह्मणों की सरेरी तहसील आसीन्द मालिक चारभुजा मिष्ठान्न एवं नमकीन भण्डार, ब्यावर चुंगीनाका चौराहा, आसीन्द —विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी की ओर से स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 19.11.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 25.09.2024 को 6.00 पी.एम. पर मालिक चारभुजा मिष्ठान्न एवं नमकीन भण्डार, ब्यावर चुंगीनाका चौराहा, आसीन्द का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । मौके पर दिनेश शर्मा दुकान पर उपस्थित मिले। मौके पर 02 (दो) घरेलू गैस सिलेण्डर, दो गैस चुल्हा, दो रेगुलेटर, दो रबर पाईप मिले। निरीक्षण के दौरान दिनेश शर्मा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से कचौरी बनाई जाकर विक्रय किया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी दिनेश शर्मा द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 (दो) घरेलू गैस सिलेण्डर मय 19.6 के.जी., दो गैस चुल्हा, दो रेगूलेटर, दो रबर पाईप को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी स्वंय उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि निरीक्षण के दौरान आरोपी दिनेश शर्मा द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत करते हुए निवेदन हैं कि जब्तशुदा 02 (दो) घरेलू गैस सिलेण्डर मय 19.6 के.जी., दो गैस चुल्हा, दो रेगूलेटर, दो

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा